29/4/14	पत्रावली पेश है। वादिनी पक्ष व प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता का कथन किया कि प्रकरण में पालना हो चुकी है। इस प्रकरण में विपक्षी पक्ष का कोई कार्य शेष है। इसी प्रकरण में विपक्षी की पालना हो चुकी है इस प्रकरण पर स्टे पक्ष का कोई अधिकारी भी अनुपालना का पालना होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व अपील दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुंझुनूं)

Scanned by CamScanner